(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 943–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–02–2014 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 112/अपील/2013–14.

श्रीमती कीर्ति वर्मा पत्नि श्री अखिलेश वर्मा,
निवासी फलेट नं.19 बी विंग लक्ष्मी अपार्टमेंट,
गायकवाड नगर औध पुणे, पूना
तहसील व जिला पूना महाराष्ट्र .....आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती रेखा पटैल पत्नि सतीश कुमार पटैल,
निवासी वार्ड कमांक 2 माता मंदिर के पास पुरानी इटारसी,
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....अनावेदिका

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.11.18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा सेमरीखुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 505 रकबा 0.793 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 522 रकबा 1.660 हेक्टेयर, 524/1 रकबा 1.769 हेक्टेयर, कुल रकबा 4.222 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में अनावेदिका रेखा के नाम से दर्ज थी। नायब तहसीलदार द्वारा पारिवारिकं व्यवस्था पत्र के आधार पर संशोधन कमांक 50 पर दिनांक 20–2–1995 को आदेश पारित कर उपरोक्त भूमियॉ आवेदिका कीर्ति के

नाम से दर्ज की गई । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 1–10–2009 को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र व शपथपत्र के साथ लगभग 14 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–2010 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानते हुये निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2010 से व्यथित होकर द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 20–2–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर शासकीय अभिलेखों में पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश देते हुये द्वितीय अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का उचित कारण नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–2–1995 के आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 8–2–2009 को अनावेदक को किस प्रकार हुई इसका कोई आधार अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और जानकारी का स्त्रोत भी नहीं दर्शाया गया है ।

(4) अनावेदिका द्वारा दिनांक 8–9–2009 को प्रथम बार तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने संबंधी अविश्वसनीय कहानी की रचना की गई है और ऐसी कहानी के आधार पर विलम्ब क्षमा करना अधिकारी नहीं है ।

(5) अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील 5320 दिवस के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जो कि स्वीकार योग्य नहीं थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(6) आयुक्त द्वारा इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है और सभी खातेदारों को सुनकर बटवारा आदेश पारित किया गया है ।

(7) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–2010 को आदेश पारित किया गया है और संहिता में संशोधन 2011 के प्रवर्त होने के पूर्व का आदेश है, ऐसी स्थिति में जब अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण माना गया था तब उन्हें प्रकरण प्रत्यावर्तित करना था ।

(8) आयुक्त द्वारा जब अपील को समयावधि में माना था, तब उन्हें गुणदोष पर सुनकर आदेश पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आयुक्त का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1984 एमपीडब्ल्यूएन 416, 1984 एमपीडब्ल्यूएन 68, 2000(1) एमपी वीकली नोट नं.55, 1984 आरएन 36, 1990 आरएन 139, 1985 आरएन 369 एवं 1987 आरएन 412 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण कार्यवाही में अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिये जाने संबंधी कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है । ऐसी स्थिति में समयावधि की गणना आदेश

पारित होने के दिनांक से नहीं की जाकर आदेश की जानकारी के दिनांक से की जायेगी । अतः स्पष्टतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । साथ ही जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है तहसील न्यायालय द्वारा बिना हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, इसलिये उक्त आदेश भी विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर शासकीय अभिलेख पूर्ववत् किये जाने के आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—02—2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर